

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
जारी हुए

56/2022/24 R/T/A

सावर सिंह व/र राजीव माथुर

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

R-245

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
जारी हुए

तारीख

2022/56

पेशी

श्री सावर सिंह

श्री राजीव माथुर - 1

11/7/25

सावरसिंह बनाम राजीव माथुर वगैरह (2022/56)  
पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांत एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 01 उपरिथत  
अभिभाषक अपीलांत ने निवेदन किया कि अपीलांत द्वारा मूल राजस्व वाद संख्या  
69/2020 को वादी/अपीलांत द्वारा विझो किया जा चुका है अतः प्रस्तुत अपील  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश  
के विरुद्ध पेश की गई है जो कि मूल वाद विझो किये जाने से सारहीन हो  
चुकी है।

अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 01 ने सहमति व्यक्त कर निवेदन किया कि  
अपीलांत/वादी द्वारा मूल राजस्व वाद को ही विझो किया चुका है अतः अपील  
सारहीन हो चुकी है।

अपीलांत/वादी द्वारा मूल राजस्व वाद को विझो किये जाने से सारहीन हो  
चुकी है अतः अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली  
फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो

राजस्व अपील प्राधिकारी

अजमेर



56/2022

1116  
श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय अजमेर  
अपील टी.ए. संख्या...56.../2022 जिला अजमेर

उपील वाद लॉक रिपोर्ट  
होमर पेज दो

16/12/22

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय अजमेर  
अपील टी.ए. संख्या...56.../2022 जिला अजमेर

1. श्री सांवर सिंह पुत्र जेता सिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बड्ल्या,  
तहसील व जिला अजमेर।

-- अपीलान्ट

बनाम्

1. डॉ. राजीव माथुर पुत्र डॉ. एम.एस. माथुर
2. श्रीमती वन्दना माथुर धर्मपत्नी डॉ. राजीव माथुर  
समस्त जाति कायस्थ, निवासी शास्त्री नगर, तहसील व जिला  
अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय अजमेर।
4. उपपंजीयक महोदय घुघरा घाटी अजमेर।

-- रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
विरुद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर अन्तर्गत राजस्व  
प्रार्थना पत्र संख्या 60/2020 दिनांक 05.04.2021

श्रीमान्जी,

अपीलांट अपील के संक्षिप्त तथ्यों सहित निम्न निवेदन करता है

कि:-

यह कि अपीलान्ट के द्वारा 'राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं  
188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड  
अधिकारी महोदय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बड्ल्या,  
तहसील व जिला अजमेर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 17 रकबा  
0.47 हैक्टर का वादी रिकार्ड्ड खातेदार काश्तकार है। जिसमें वादी का

*(Handwritten signature)*